



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-852/MH/15/2022-RO-BH

दिनांक: 06.04.2026

मुख्य सचिव,  
महाराष्ट्र सरकार,  
मंत्रालय, 6वीं मंजिल, गंडम कामा रोड,  
हुतात्मा राजगुरु चौराहा, नरीमन पॉइंट,  
मुंबई 400032, महाराष्ट्र  
ई-मेल: cs@maharashtra.gov.in

जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट, मुंबई-उपनगर,  
कलेक्टर कार्यालय, मुंबई उपनगरीय जिला,  
प्रशासनिक भवन, 10वीं मंजिल, सरकारी कॉलोनी,  
बेतना कॉलेज के सामने, बांद्रा (पूर्व),  
मुंबई-400 051, महाराष्ट्र  
ई-मेल: collector.mumbaisuburb@maharashtra.gov.in

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई  
महाराष्ट्र सरकार, प्रशासनिक भवन,  
अनंत कानेकर मार्ग,  
बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051, महाराष्ट्र,  
ई-मेल: ceo@sra.gov.in

विषय: वर्षों से काविज भूमि को झोपड़पट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बंध में श्री रविन्द्र हरी मलावकर, निवासी हरी मलावकर चाल, सुरोटा पाडा, एम.व्ही.एम. स्कूल के सामने, विरा देसाई रोड, आंचोली, अंधेरी पश्चिम, मुंबई, महाराष्ट्र का दिनांक 22.09.2022 का अभ्यावेदन।


संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 20.10.2022 (प्रति संलग्न)।

महोदय/महोदया,

यूँकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसारण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष 1, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली 110003 में दिनांक 20.04.2026 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी समस्त गूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को वाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

  
(चेतन कुमार शर्मा/Chetan Kumar Sharma)  
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer  
ई-मेल: chetan.sharma777@ncst.nic.in  
दूरभाष: 011-24615012

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री रविन्द्र हरी मलावकर,  
निवासी हरी मलावकर चाल, सुरोटा पाडा,  
एम.व्ही.एम. स्कूल के सामने, विरा देसाई रोड,  
आंचोली, अंधेरी पश्चिम, मुंबई, महाराष्ट्र  
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु  
आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।